न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –19/2025

अनवान

1. गोपाल पिता प्रथ्वीराज तेली, जाति तेली, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. शांतिलाल पिता पिता प्रथ्वीराज तेली, जाति तेली, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गट्टू बाई पुत्री प्रथ्वीराज तेली, जाति तेली, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. चंदा बाई पुत्री प्रथ्वीराज तेली, जाति तेली, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 09.03.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेकाश्त की कृषि आराजी ग्राम जावदा प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 298 खसरा संख्या 193, 194, 447, 448 कुल किता 04 रकबा 1.4700 हैक्टर जिसमें हम प्रार्थीगण के पिता प्रथा पुत्र मोड़ा का 1/4 हिस्सा तथा अन्य सहखातेदारान का हिस्सा निहित है। स्वर्गीय प्रथा की दस्तावेज में नाम प्रथ्वीराज है तथा बचपन में उनको प्रथा भी कहते थे इसलिए उक्त जमाबंदी में उनका नामान्तरण खुलते वक्त प्रथा हो गया है जबकि ग्राम जावदा के अन्य खाता संख्या 300 खसरा संख्या 123 में प्रथ्वीराज पिता मोडा अंकन है तथा एक ओर खाता संख्या 131 खसरा संख्या 127 में भी प्रथ्वीराज पिता मोडा ही अंकित था। लेकिन खाता संख्या 298 में बोलते नाम से नामान्तरण प्रथा पिता मोडा के नाम से खुल गया था। प्रथा हमारे पिता का बचपन का बोलता हुआ नाम था लेकिन उनका स्वर्गवास दिनांक 14.10.2024 को हो गया जिसके बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रथ्वीराज पिता मोडा के नाम से बना हुआ है तथा उनके अन्य सभी दस्तावेजों के नाम प्रथ्वीराज पिता मोडा है इसलिए उक्त इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रथा उर्फ प्रथ्वीराज पुत्र मोडा किये जाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। पैरा संख्या 01 में वर्णित उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी नकल खाता संख्या 298 में हमारे पिता का बचपन का बोलता हुआ नाम प्रथा लिखा हुआ है तथा हमारे पिता बोलते हुए नाम से नामान्तरण खोला गया था जबकि हमारे पिता का सभी दस्तावेजों में नाम प्रथ्वीराज पिता मोडा है उक्त दोनों नाम प्रथा व प्रथ्वीराज हम प्रार्थीगण के पिता के ही नाम है तथा हम प्रार्थीगण के पिता को दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता है। इसलिए हमारे पिता के खाता संख्या 298 में इन्द्राज दुरूस्ती कर पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी खाता संख्या 298 में हम प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रथा उर्फ प्रथ्वीराज किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मुझ प्रार्थी के खाते दर्ज रिकॉर्ड कृषि आराजीयात ग्राम जावदा प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 298 खसरा संख्या 193, 194, 447, 448 कुल किता 04 रकबा 1.4700 हैक्टर जिसमें हम प्रार्थीगण के पिता प्रथा पुत्र मोड़ा का 1/4 हिस्सा है उक्त जमाबंदी में हम प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रथा उर्फ प्रथ्वीराज किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 23.07.2025 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम जावदा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 298 की आराजी संख्या 193 रकबा 0.03है0,इ आराजी संख्या 194 रकबा 0.64है0, आराजी संख्या 447 रकबा 0.08है0, आराजी संख्या 448 रकबा 0.72है0 कुल किता 04 रकबा 1.47है0 भूमि प्रथा पुत्र मोडा हि0 1/4 जाति तेली सा देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि मौका एवं दस्तावेज मे पृथ्वीराज के नाम से है। जिसको बचपन में प्रथा कहा जाता था। प्रथा एवं पृथ्वीराज एक ही व्यक्ति के नाम है जबकि इसी ग्राम की जमाबंदी खाता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 300 एवं खाता संख्या 131 में पृथ्वीराज पिता मोडा जाति तेली के नाम रिकार्ड दर्ज था जिसका इंतकाल खोला जा चुका है। जमाबंदी खाता संख्या 298 मे प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रथा पिता मोडा जाति तेली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि जांच करने पर पाया गया प्रथा उर्फ पृथ्वीराज दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अन्य खाता संख्या 298 मे प्रार्थीगण के पिता का नाम प्रथा उर्फ पृथ्वीराज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 रा.ले.रे. एक्ट प्रकरण स्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों एवं ग्राम पंचायत जावदा के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम जावदा प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 298 खसरा संख्या 193, 194, 447, 448 कुल किता 04 रकबा 1.4700 हैक्टयर भूमि मे प्रार्थी के पिता का बचपन का नाम गांव मे प्रथा है, जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम प्रथा उर्फ पृथ्वीराज होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम प्रथा के स्थान पर प्रथा उर्फ पृथ्वीराज करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:–आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम जावदा प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 298 खसरा संख्या 193, 194, 447, 448 कुल किता 04 रकबा 1.4700 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम प्रथा के स्थान पर प्रथा उर्फ पृथ्वीराज दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़